न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 14 / 2018 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती खातून पत्नी स्वर्गीय नूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव टीडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. हफीज खां पुत्र स्वर्गीय नूर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव टीडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती खुर्शीदा बानो पुत्री स्वर्गीय नूर खां, पत्नी आबीद हुसैन, जाति मुसलमान, निवासी पिण्डवाडा, तहसील पिण्डवाडा, जिला सिरोही (राज.)
4. श्रीमती सकीला पुत्री स्वर्गीय नूर खां, पत्नी अयूब खां, जाति मुसलमान, निवासी हल्दीघाटी, खमनोर रोड़, तह॰ खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. समस्त मुस्लिम समुदाय आम ग्राम टीडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) जरिये प्रतिनिधि :–
   1. अमीर खां पिता चांद खां, निवासी टीडी, तह॰ गिर्वा, जिला उदयपुर।
   2. रफीक मोहम्मद पिता वजीर खां, नि॰ टीडी, तह॰ गिर्वा, जिला उदयपुर।
   3. अनवर खां पिता अमीर खां, निवासी टीडी, तह॰ गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि॰
31.03.2008 प्रकरण संख्या 32 / 06

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) : 1– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1 से 3
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 04–12–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध नियम 14 (4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 5 के पूर्वज नूर खां ने दिनांक 07–06–1992 को ग्राम टीडी की आराजी नंबर 3586 रकबा 0.6400 हैक्टर का आवंटन करवा लिया जो धोखे से प्राप्त किया गया है। उपरोक्त भूमि बिलानाम सरकार थी तथा मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान के लिए शुरू से ही आरक्षित थी तथा पिछले 25–30 सालों से कब्रिस्तान के लिए ही उक्त भूमि का आरक्षित रखा हुआ था तथा इस भूमि पर कब्रिस्तान बने होकर कब्रिस्तान के लिए ही काम में आ रही है। मुस्लिम समुदाय में मृत्यु होने पर उन्हें इसी भूमि में दफनाया जाता है। उक्त भूमि का आवंटन नूर खां ने पटवारी आदि से मिलकर गलत ढंग से प्राप्त किया है तथा नूर खां की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नामान्तरकरण उसके वारिसान विपक्षीगण के नाम खुल गया है, वह भी गलत है। उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो जाने से विक्रय करने पर आमादा है। अतएवं आवंटन निरस्त किया जावे।

विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि का धोखे से आवंटन नहीं करवाया गया है तथा भूमि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित नहीं है। उक्त भूमि नूर खां को विधिवत आवंटित होकर उनकी मृत्यु के बाद विपक्षीगण के नाम विधिक रूप से नामान्तरकरण खुला है। नूर खां के भाई वजीर खां जो नूर खां से बहुत स्नेह रखते थे, उनकी मृत्यु होने पर उन्हें इस भूमि में दफनाया गया तथा बाद में नूर खां को भी इसी भूमि में दफनाया गया। इसके अलावा इस भूमि पर और कोई कब्र नहीं है। वादग्रस्त भूमि कभी भी कब्रिस्तान की भूमि नहीं रही। ग्राम टीडी में मुस्लिम समुदाय के गिने चुने मकान थे और उनकी मृत्यु होने पर उन्हें पेट्रोल पम्प के पास दफनाया जाता था और यह जगह वादग्रस्त भूमि से लगभग 1½ किमी दूर है। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–01–2007 को दर्ज होने के बाद अपीलान्ट/विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 10–07–2007 को वकालत पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 19–11–2007 को विपक्षीगण

की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में दिनांक 31–03–2008 को अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी/अपीलान्ट के अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का आवेदन स्वीकार कर विपक्षी/अपीलान्ट के आवंटन को निरस्त करते हुए भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31–03–2008 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पैरवी हेतु श्री कमर हुसैन जी को अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, लेकिन उनके द्वरा अपीलान्ट की ओर से उपस्थिति नहीं दी गयी, न ही अपीलान्ट को कोई जानकारी दी गयी कि उक्त प्रकरण में निर्णय हो चुका है। अपीलान्ट के भाई व पुत्र सलीम खां को पक्षकार बनाया गया था, जिसकी मृत्यु हो गयी है तथा एक अन्य भाई व पुत्र हफीज खां मानसिक रूप से कमजोर है तथा दोनों बहने ससुराल में रहती है व अपीलान्ट पढ़ी–लिखी नहीं है, जिससे उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी। रेस्पोन्डेन्ट रफीक मोहम्मद जमीन पर कब्जा करने की नियत से आये एवं नीवें खोदने लगे तब उसे उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री कमर हुसैन न्यायालय में उपस्थित होकर समस्त कार्यवाहियों में भाग लिया है। अपीलान्ट ने हाफिज खां को मानसिक रूप से कमजोर बताया है, लेकिन अपील हाफिज खां स्वयं द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट ने अपने आपको अनपढ़ बताया है, जबकि वह पढ़ी–लिखी है तथा टीडी में महीने में 3–4 बार आती है तथा इनको अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अच्छी तरह से जानकारी थी। दस वर्षो की मयाद को कण्डोन किये जाने का कोई आधार नहीं है। विवादित भूमि कब्रिस्तान के उपयोग में कई वर्षो से आ रही है तथा मौके पर कब्रे मौजूद हैं तथा अभी 5 वर्ष पूर्व ही शब्बीर खां की मृत्यु होने पर उसे इसी भूमि में दफनाया गया है तथा पश्चात इकबाल खां की मृत्यु व

सलीम खां की मृत्यु होने पर उन्हें भी इसी जमीन में दफनाया गया है। इस भूमि पर हैण्ड पम्प भी लगा हुआ है जो शव दफनाते वक्त काम में लिया जाता है, शेष भूमि पर जनाजे की नवाज पढ़ने के लिए समाज के लिए आते हैं। मौलाना साहब भी आते हैं तथा कब्रिस्तान की फाटक से 40 कदम दूर पर नवाज फातिया पढ़ते हैं और गांव के करीब 200–300 लोग आते हैं। अधिनस्थ न्यायालय में इकबाल खां व शब्बीर खां की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिसान को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपील कुसंयोजन से ग्रसित होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। अपील 10 मयाद बाहर गलत आधारों पर प्रस्तुत की गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया तथा मयाद के बिन्दु पर न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1293, आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1349 तथा 2014 (1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 405 प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि सिर्फ औचित्य पूर्ण आधारों पर ही मयाद कण्डोन की जानी चाहिए।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वकील नियुक्त किया गया है तथा वकील द्वारा अपीलान्ट के हस्ताक्षर शुदा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बहस सुनने के बाद गुणावगुण पर दिनांक 31–03–2008 को निर्णय पारित किया है, जिसके मयाद की अवधि दिनांक 30–05–2008 होती है, जबकि अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–02–2018 को अर्थात करीब 9¾ वर्ष बाद प्रस्तुत की है, जिसके लिए जो आधार लिये हैं, वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31–03–2008 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर